

प्रेषक:-

प्रमुख सचिव,  
बेसिक शिक्षा,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), उ०प्र०।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

**विषय-मध्याह्न भोजन योजना को परिवर्तित कर "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)" किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन व प्रदेश सरकार/शासन स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को भोजनावकाश में गर्म पका-पकाया भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र-F.NO. 1-3/2021-Desk (MDM) दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 के अनुसार कैबिनेट के निर्णय के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना को परिवर्तित कर "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)" कर दिया गया है। संदर्भगत पत्र द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि में केन्द्र सहायतित योजना "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)" के Implementaiton (क्रियान्वयन) हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)" के सुचारु Implementaiton (क्रियान्वयन) हेतु मण्डल/जनपद स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(दीपक कुमार)  
प्रमुख सचिव

पु०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली को पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 के क्रम में।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (नियोजन), उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
9. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
10. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ०प्र० शासन।
11. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० शासन।
12. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उ०प्र०, लखनऊ।
13. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
14. निदेशक बेसिक शिक्षा/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/साक्षरता व वैकल्पिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
15. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, गोमती नगर, लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।

(दीपक कुमार)  
प्रमुख सचिव